

तेलंगाना ने कृष्णा नदी जल वविाद को ट्रिब्यूनल को सौंपने की मांग की

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नतिनि गडकरी से अनुरोध किया है कि कृष्णा नदी के जल बँटवारे को लेकर वविाद को अधकिरण को सौंप दिया जाए ताकि राज्‍य के लोगों को न्याय मलि सके ।

परमुख बदि:

- तेलंगाना द्वारा अंतरराज्‍यीय नदी जल वविाद (ISRWD) अधनियिम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्त्त बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल की अवधि बिद्धा दी थी और आंध्र प्रदेश पुनर्र्गठन अधनियिम, 2014 के अनुसार मामले को संदर्भति किया गया था ।
- चूँकि अधनियिम की धारा 89 का दायरा काफी सीमति था जो तेलंगाना के उच्चति मांगों के साथ न्याय करने में नहीं सक्षम होता । इसलियि यह अनविार्य हो गया था कि मामले को अंतरराज्‍यीय नदी जल वविाद (ISRWD) अधनियिम के तहत ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए ।
- एक अलग अनुरोध में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीता राम लफिट सचिाई परयिोजना को एक नई परयिोजना के बजाय गोदावरी नदी पर चल रही एक पुरानी परयिोजना के रूप में माना जाए ताकि परयिोजना को आवश्यक मंजूरी मलिने के बाद समय पर पूरा किया जा सके ।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार ने परयिोजना को ₹ 1,681 करोड़ की लागत वाली राजीव दुमुगुडेम लफिट सचिाई योजना और ₹ 1,824 करोड़ लागत की इंद्रिसागर रूद्रमकोटा लफिट सचिाई योजना के रूप में मंजूरी दे दी ।
- तदनुसार इन दो परयिोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया था और राज्‍य के वभिाजन के समय क्रमशः ₹ 871.8 करोड़ और ₹ 899.36 करोड़ खर्च कएि गए थे ।
- हालाँकि परयिोजना को फरि से डिाइन किया जाना था क्योंकि इंद्रिसागर परयिोजना का मुख्य कार्य शेष आंध्र प्रदेश में चला गया था और इसका सीमांकन कार्य वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्तर से होकर गुजर रहा था ।
- गौरतलब है कि अंतरराज्‍यीय मुद्दों से बचने के लियि सरकार ने परयिोजना के मुख्य कार्य को तेलंगाना के अधकिार क्षेत्तर में हस्त्तांतरति कर दिया ।